M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2013

Roll No./ अनुक्रमांक | | | | | |

Total No. of Questions : 20
कुल प्रश्नों की संख्या : 20

No. of Printed Pages : 6
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 6

LAW
Second Paper

Time Allowed – 1.30 Hours
समय – 1.30 घण्टे

Maximum Marks - 100
पूर्णांक – 100

Instructions/निर्देश :–

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक ही भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।
2. Please, adhere to the words limit which is approximately 60 words for each question and as well as for a short note.
प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा लगभग 60 शब्द प्रति प्रश्न एवं प्रत्येक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए निर्धारित की गई है। उसका अवश्य पालन करें।
3. Write your Roll Number in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary sheet. Any attempt to disclose Roll No. or Identity in any form, in any other part thereof, shall disqualify the candidate.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी भी प्रकार से किसी अन्य भाग पर रोल नम्बर अथवा पहचान प्रकट करने पर उम्मीदवार निरर्हित हो जावेगा।
4. Answers of this Question Paper must only be given in Answer-book provided for the 2nd Question Paper. Answers given on other Answer-sheets may not be valued.
इस प्रश्न पत्र के उत्तर, केवल द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु दी गई उत्तर–पुस्तिका में ही लिखें । अन्य उत्तर पुस्तिका में उत्तर दिये जाने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा ।
5. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of answer-book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer-book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

Q.NO. /प्र.क्र. **Marks /अंक**

INDIAN PENAL CODE, 1860

1. "X", a citizen of India has committed an offence in Sri Lanka punishable under IPC. Describe the provisions regarding extension of IPC to extra territorial offences. How such offences can be tried in India ? 5

"X" भारतीय नागरिक द्वारा श्रीलंका में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय एक अपराध किया गया। भा0द0सं0 के राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर विस्तार से संबंधित प्रावधानों को वर्णित करें ? ऐसे अपराधों का विचारण भारत में कैसे हो सकता है ?

2. At about 10 pm on a highway, accused "A" and "B" jointly stopped "C". Then "A" voluntarily caused grievous injury to "C", and accused "B" snatched a gold chain of "C" Explain the offences committed by them.
अभियुक्त 'ए' व 'बी' ने संयुक्त रूप से रात्रि करीब 10 बजे राजमार्ग पर 'सी' को रोका । अभियुक्त 'ए' ने स्वेच्छया 'सी' को गम्भीर उपहति कारित की और अभियुक्त 'बी' ने 'सी' की सोने की चैन को छीन लिया । 'ए' और 'बी' द्वारा किए गए अपराधों को स्पष्ट करें ?

3. Define 'sexual harassment'. Describe the procedure and punishment provided for the offence ? 5
'लैंगिक प्रताड़ना' को परिभाषित कीजिए ? इस अपराध से उपबंधित प्रक्रिया एवं दण्ड का वर्णन करें ?

4. 'A' shot a fire at 'B' and thereby causing injury on his thigh. What factors may be relevant to ascertain as to whether the offence committed by 'A' comes under S. 307 and not u/s. 324 I.P.C. only. ? Discuss. 5
'क' 'ख' पर फायर करता है और तदद्वारा उसे जांघ में चोट पहुंचाता है । यह अभिनिश्चित करने के लिये क्या–क्या कारक सुसंगत हो सकते हैं कि क्या 'क' द्वारा कारित अपराध भा0दं0सं0 की धारा 307 में आता है न कि केवल धारा 324 के अन्तर्गत ? चर्चा कीजिए ।

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

5(a). A sessions court after convicting an accused person under sec. 307 & 326 (two counts) IPC, punished him with rigorous imprisonment of seven years, five years and five years respectively, and also directed that such punishments shall run consecutively. Whether sessions court is competent to inflict such punishment ? 2.5

सत्र न्यायालय ने एक अभियुक्त व्यक्ति को धारा 307 एवं 326 (दो बार) भा0द0सं0 के अपराध में दोषी ठहराये जाने के बाद उसे क्रमशः 7 वर्ष, 5 वर्ष एवं 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया और यह भी निर्देशित किया कि ऐसे दण्ड एक के बाद एक प्रारम्भ होंगे । क्या सत्र न्यायालय ऐसा दंड देने में सक्षम है ?

5(b). The CJM, Indore, after convicting an accused person, for the offences under sec. 324 & 325 IPC, sentenced him for rigorous imprisonment of three years & a fine of Rs. 5000 for each offence, and further directed that such punishments shall run consecutively. The accused was on bail and filed an application under sec. 389 (3) Cr.P.C. for suspension of sentence. Decide the application according to law. 2.5

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंदौर ने एक अभियुक्त व्यक्ति को धारा 324 एवं 325 भा0दं0सं0 के अपराधों में दोषी ठहराये जाने के बाद उसे प्रत्येक अपराध के लिये तीन–तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपए पांच सौ–पांच सौ के अर्थदण्ड से दंडित किया और यह भी निर्देशित किया कि ऐसे दंड एक के बाद एक प्रारम्भ होंगे । अभियुक्त जमानत पर था और उसने धारा 389 (3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत दण्ड के निलंबन हेतु एक आवेदन पत्र दाखिल किया । आवेदन पत्र को विधि अनुसार निराकृत करें ?

6. Where genuineness of the injury reports and the post-mortem examination reports have been admitted by the defence before the trial Court, whether such reports can be read as substantive evidence under subsection (3) of Section 294 Cr. P.C ? Answer with reference to the law/provisions. 5

जहां बचाव पक्ष के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष चिकित्सकीय जांच प्रतिवेदन एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन की प्रमाणिकता को स्वीकार कर लिया गया हो, क्या वहां ऐसे प्रतिवेदनों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 294(3) के अधीन सारभूत साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है ? विधि/प्रावधानों के संदर्भ में उत्तर दीजिये ?

7. Describe briefly the law relating medical examination of a victim of rape ? 5
बलात्संग की पीड़ित के चिकित्सकीय परीक्षण संबंधि विधि का संक्षिप्त में वर्णन करिये?

8. After dismissal of the first complaint, whether a second complaint on the same facts can be entertained ? if yes, under what circumstances ? Answer with reference to the law/provisions ? 5
प्रथम परिवाद निरस्त हो जाने के उपरांत क्या उन्हीं तथ्यों पर द्वितीय परिवाद को ग्रहण किया जा सकता है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ? विधि/प्रावधानों के संदर्भ में उत्तर दीजिये ?

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

9. "X", an accused has informed a police officer while in custody that he murdered "Y" with a sword on 15th July, 2013 at about 9 pm near a temple in village "Z". At that time, the sword and his clothes were blood stained and he had buried them behind his house near a banyan tree. On this information, the investigating officer found the said sword and clothes from the place told by the accused.
Determine the admissibility and relevancy of this information/statement as evidence in the given facts as per applicable law. 5

"X" एक अभियुक्त ने अभिरक्षा के दौरान पुलिस अधिकारी को सूचना दी कि उसने 15 जुलाई 2013 को रात्रि करीब 9 बजे "Z" मंदिर के पास तलवार से "Y" की हत्या की थी । उस समय तलवार और उसके कपड़े रक्तरंजित हो गए थे और उसने उन्हें अपने घर के पीछे बरगद के पेड़ के पास गाढ़ दिया है । उसकी ऐसी सूचना पर अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान से बताई गई तलवार व कपड़े बरामद किए

दिए गए तथ्यों में प्रस्तुत इस सूचना/कथन की साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता और सुसंगतता का प्रयोज्य विधि अनुसार निर्धारण करें ?

10. Whether an oral dying declaration can form the basis for conviction in given case ? if yes, under what circumstances ? Answer with references to case law ? 5

क्या किसी प्रकरण में मौखिक मृत्यु कालिक कथन पर दोषसिद्धी को आधारित किया जा सकता है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ? न्यायदृष्टांतों के संदर्भ में उत्तर दीजिये ?

11. Explain the legal proposition regarding evidentiary value of a hostile witness as held in the case of Khujji @ Surendra Tiwari v. State of M.P. AIR 1991 SC 1853 5

पक्ष विरोधी साक्षी के साक्ष्यात्मक मूल्य की विधिक प्रतिपादनाओं को स्पष्ट कीजिए जैसा कि खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 ए0आई0आर0 1991 सु0को0 1853 वाले मामलें में अवधारित है।

NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT, 1881

12- What are the exceptions to the general rules that for dishonour of cheque along with the company the person who was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company shall be deemed to be guilty. 5

सामान्य नियम कि चेक अनादर होने पर कम्पनी के साथ वह व्यक्ति जो प्रभार में था तथा कम्पनी के व्यवसाय संचालन हेतु कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, को दोषी समझा जाएगा, के अपवाद क्या है ?

13. Explain as to whether provisions of Section 200 of the code of Criminal Procedure requiring Magistrate to examine complainant and witnesses on oath before issuance of the process apply to a complaint regarding offence under Section 138 of the Act ? Whether accused can be allowed to tender his evidence on affidavit ? 5

स्पष्ट कीजिए कि क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के प्रावधान, जो मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा करते हैं कि वह आदेशिका जारी करने के पूर्व परिवादी एवं उसके साक्षीगण की शपथ पर परीक्षा करेगा, अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध से संबंधित परिवाद पर प्रयोज्य होते हैं ? क्या अभियुक्त को, शपथ पत्र पर साक्ष्य देना, अनुज्ञात किया जा सकता है ?

N.D.P.S. ACT, 1985

14 - Describe briefly the punishment for contravention in relation to cannabis plant and cannabis. 5

कैनाबिस के पौधे एवं कैनाबिस के सम्बन्ध में उलंघन पर दंड का संक्षिप्त वर्णन करें–

15. Whether a confession recorded by the Officers of the Central Bureau of Narcotics regarding an offence punishable under the N.D.P.S Act, is admissible in evidence in view of sections 25 & 26 of the Evidence Act ? Answer with reference to law/provisions. 5

क्या स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों के द्वारा अभिलिखित संस्वीकृति, धारा 25 एवं 26 साक्ष्य अधिनियम के प्रकाश में साक्ष्य में ग्राह्य होगी ? विधि/प्रावधानों के संदर्भ में उत्तर दीजिये ?

PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988

16. State briefly the ingredients for an offence of being in possession of property disproportionate to known source of income punishable u/s. 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act. What is meant by 'known source of income'. 5

भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई) के तहत दण्डनीय ज्ञात श्रोत से अधिक अनुपातहीन सम्पत्ति के कब्जे में होने के अपराध के तत्वों को संक्षेप में बताईये। "आय के ज्ञात श्रोत" का क्या मतलब है ?

17. Whether a special judge can take cognizance of an offence under sec. 12 for abatement of an offence under sec. 7 without any previous sanction from the concerned govt. Comment with relevant provisions. 5

क्या विशेष न्यायाधीश धारा 7 के एक अपराध के दुष्प्रेरण के लिये धारा 12 के अन्तर्गत किए गए अपराध का संबंधित सरकार से कोई पूर्व अनुमति लिए बिना संज्ञान ले सकता है ? सुसंगत प्रावधानों के साथ टीप दें ।

SC & ST (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989

18. The prosecutrix has lodged a F.I.R. having the ingredients of an offence under Sec. 354 of I.P.C. and Sec. 3(1)(xi) of the SC/ST (P.A.) Act, whether the accused can be enlarged on bail under Sec. 438 of Cr.P.C. ? Discuss. 5

अभियोक्त्री ने भा0दं0सं0 की धारा 354 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अपराध के तत्वों के साथ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई । क्या आरोपी द0प्र0सं0 की धारा 438 के अंतर्गत जमानत पर मुक्त किया जा सकता है ? चर्चा करें ।

19. Explain with reasons, whether after conclusion of a trial under sec. 3(2)(V) of SC/ST (POA) Act, 1989 & Sec. 326 IPC, an accused person can be convicted & Sentenced under Sec. 3(2)(V) of SC/ST (POA) Act, 1989 & sec. 324 IPC at the time of passing Judgment. - 5

कारण सहित स्पष्ट करें, क्या धारा 3 (2) (V)–अनुसूचित जाति–जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं धारा 326 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विचारण समाप्त होने के पश्चात् निर्णय के समय अभियुक्त व्यक्ति को धारा 3 (2) (V)–अनुसूचित जाति–जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं धारा 324 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध एवं दंडित किया जा सकता है ?

MIXED

20. Write Short-notes on any two of the followings : - 5

1. Evaluation of multiple dying declaration.
2. Dowry death & its presumption.
3. Estoppel
4. Free legal assistance at State cost :

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये : –

1. एक से अधिक मृत्यकालिक कथन का मूल्यांकन ।
2. दहेज मृत्यु एवं उसकी उपधारणा ।
3. विबन्ध
4. राज्य के व्यय पर मुफ्त कानूनी सहायता ।

*****